भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2272

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र

2272. श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थापित राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के कीरतपुर-इटारसी स्थित कामधेनु प्रजनन केंद्रों में कमियों को दूर करने और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए कोई निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त केंद्र के लिए की गई समीक्षा/निरीक्षण अथवा औचक निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्वदेशी गोवंशीय और महिषवंशीय नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों/योजनाओं/कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी बोवाईन नस्लों के जर्मप्लाज्म के भंडार के रूप में और वैज्ञानिक तथा समग्र तरीके से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्र राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर, इटारसी, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है और वर्तमान में, केंद्र गोपशुओं की 13 नस्लों और भैंसों की 4 नस्लों की देखरेख कर रहा है। दक्षिणी क्षेत्र राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के चिंतलदेवी में स्थापित किया गया है और वर्तमान में यह केंद्र गोपशुओं की 14 नस्लों और भैंसों की 5 नस्लों की देखरेख कर रहा है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, राज्य समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन की केंद्रीय रूप से समीक्षा की जाती है। योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सभी भाग लेने वाले राज्यों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट और तिमाही प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है और प्रगति में कोई कमी होने पर संबंधित राज्य को सूचित किया जाता है। राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा राज्य पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव के

अधीन तकनीकी प्रबंधन समिति/समीक्षा समिति द्वारा की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा (i) 9 मार्च 2017, (ii) 24 अगस्त 2017 (iii) 10 नवंबर 2017 (iv) 7 दिसंबर 2017 (v) 16 मई 2018 को बैठकें आयोजित की गईं। विभाग द्वारा 6 से 7 जून 2018 को केंद्र का औचक दौरा किया गया। केंद्र की प्रगति की समीक्षा दिनांक 24.11.2022 को आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान भी की गई।

(ड़) पशुपालन और डेयरी विभाग देशी गोपशुओं (गोवंशीय) और भैंस (महिषवंशीय) की नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन और बोवाईन उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्ष 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन रहा है। देशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राज्य प्रजनन नीति के अनुसार अन्य बोवाईन नस्लों सहित गोपशु और भैंस की देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांडों (एचजीएमबी) के वीर्य का उपयोग करते हुए एआई कवरेज का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(ii) मुख्य रूप से देशी बोवाईन आबादी के बीच तेजी से आनुवंशिक लाभ के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन। पशुपालन और डेयरी विभाग आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू कर रहा है।

(iii) 90% सटीकता से केवल बछ़डियों के उत्पादन के लिए देश में देशी नस्लों सहित बोवाईनों के सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

(iv) देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांडों की मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग देश में 9 संतति परीक्षण (पीटी) और 7 नस्ल चयन कार्यक्रम लागू कर रहा है।

(v) देशी नस्लों के वैज्ञानिक और समग्र रूप से विकास और संरक्षण के लिए 16 गोकुल ग्राम और 2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(vi) पशुपालन और डेयरी विभाग हब एंड स्पोक मॉडल पर देशी नस्लों के नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। योजना के तहत पात्र उद्यमियों (व्यक्तिगत/एसएचजी/एफसीओ/एफपीओ/जेएलजी और धारा 8 कंपनियां) के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध है। नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के तहत सहायता प्राप्त उद्यमी भी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं।

******